इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ बैंकिंग एण्ड फाइनैन्स का मासिक न्यूज़लेटर प्रति वर्ष 40/रुपये
(आईएसओ 9001 : 2008 प्रमाणित संगठन)

आईआईबीएफ विज़न

व्यावसायिक उत्कृष्टता
के प्रति प्रतिबद्ध

खंड सं. : 3 अंक सं. : 08 मार्च 2011

संस्थान (इंस्टिट्यूट) का ध्येय (मिशन) "प्राथमिक रूप से शिक्षण, प्रशिक्षण, परीक्षा, परामर्श / सलाह और निरंतर आधार वाले व्यावसायिक विकास कार्यक्रमों की प्रक्रिया के माध्यम से व्यावसायिक रूप से सुयोग्य और सक्षम बैंकरों एवं वित्तीय व्यावसायिकों का विकास करना है।"

विषय-सूची

मुख्य घटनाएं---------- 1
बैंकिंग से सम्बन्धित नीतियां----------2
बैंकिंग जगत की घटनाएं----------3
विनियामकों के कथन ----------4
विदेशी मुद्रा विनिमय----------4
सूक्ष्मवित्त -- ----------4
अर्थव्यवस्था----------5
पूंजी बाज़ार----------5
बीमा----------5
नयी नियुक्तियां----------6
उत्पाद एवं गंठजोड----------6
अंतरराष्ट्रीय निपटान बैंक----------6
वित्तीय क्षेत्र की बुनियादी जानकारीं ---------- 7
शब्दावली ----------7
आईआईबीएफ की गतिविधियां----------7
संस्थान समाचार----------7
बाज़ार की खबरें----------8

"इस प्रकाशन में समाविष्ट सूचना / समाचार की मदें सार्वजनिक उपयोग अथवा उपभोग हेतु विविध बाह्य स्रोतों / मीडिया में प्रकाशित हो चुकी / चुके हैं और अब वे केवल सदस्यों एवं अभिदाताओं के लिए प्रकाशित की / किए जा रही / रहे हैं। उक्त सूचना / समाचार की मदों में व्यक्त किए गए विचार अथवा वर्णित / उल्लिखित घटनाएं सम्बन्धित स्रोत द्वारा यथा अनुभूत हैं। इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ बैंकिंग एण्ड फाइनैन्स समाचार मदों / घटनाओं अथवा जिस किसी भी प्रकार की सूचना की सच्चाई अथवा यथार्थता अथवा अन्यथा के लिए किसी प्रकार से न तो उत्तरदायी है न ही कोई उत्तरदायित्व स्वीकार करता है।"

मुख्य घटनाएं

वित्त मंत्री श्री प्रणब मुखर्जी ने 28 फरवरी, 2011 को वर्ष 2011-12 का केन्द्रीय बजट प्रस्तुत किया। उक्त बजट की बैंकिंग क्षेत्र के लिए प्रासंगिक महत्वपूर्ण विशेषताएं निम्नानुसार हैं:

- सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का पुनर्पूंजीकरण : जोखिम-भारित परिसम्पत्ति की तुलना में पूंजी के न्यूनतम 8% के अनुपात को बनाए रखने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के पुनर्पूंजीकरण के लिए 6,000 करोड़ रुपये की रकम का प्रावधान किया गया है।

- क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का पुनर्पूंजीकरण : क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को जोखिम-भारित परिसम्पत्ति की तुलना में पूंजी के न्यूनतम 9% के अनुपात को बनाए रखने में समर्थ बनाने के लिए 500 करोड़ रुपये की रकम का प्रावधान किया गया है।

- सूक्ष्म वित्त संस्थाएं : महिलाओं के सशक्तीकरण तथा उनके स्वयं सहायता समूहों को बढ़ावा देने के लिए भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (SIDBI) के पास 1,000 करोड़ रुपये की 'भारत सूक्ष्मवित्त इक्विटी निधि' सृजित की जाएगी तथा 500 करोड़ रुपये की मूल पूंजी के साथ 'महिला स्वयं सहायता समूह विकास निधि' सृजित की जाएगी।

- सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के तहत उधार में अल्पसंख्यक समुदायों को बकाया ऋणों के रूप में 15% का लक्ष्य शीघ्रातिशीघ्र प्राप्त करना होगा।

- आवास ऋणों पर 1% के ब्याजगत सरकारी अनुदान की मौजूदा योजना और उदारीकृत बना दी गई है। प्राथमिकता क्षेत्र उधार के तहत रिहायशी इकाइयों के लिए मौजूदा आवासीय ऋण की सीमा बढ़ाकर 25 लाख रुपये कर दी गई है। ग्रामीण आवास निधि के तहत प्रावधान बढ़ा कर 3,000 करोड़ रुपये कर दिया गया है।

- कृषि ऋण : किसानों के लिए ऋण प्रवाह 3,75,000 करोड़ रुपये से बढ़ा कर वर्ष 2011-12 में 4,75,000 करोड़ रुपये कर दिया गया है। कृषि ऋण के प्रवाह के बढ़ाए हुए लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए नाबार्ड का पूंजी आधार चरणबद्ध रीति से 3,000 करोड़ रुपये बढ़ा कर सुदृढ़ किया जाएगा।

- नाबार्ड की वर्ष 2011-12 की अल्पावधिक ग्रामीण ऋण निधि में 10,000 करोड़ रुपये का अंशदान किया जाएगा।

- ऐसे किसानों को, जो अपने फसल ऋणों की चुकौती समय से करते हैं, अल्पावधिक फसल ऋण प्रदान करने के लिए ब्याजगत सरकारी अनुदान को 2% से बढ़ा कर 3% किया जाएगा।

- वित्तीय समावेशन : वर्ष 2011-12 के दौरान 2000 से अधिक की जनसंख्या वाली सभी 73,000 बस्तियों को बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध कराने का लक्ष्य पूरा कर लिया जाएगा।

- बैंकों द्वारा सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों को वृद्धिशील उधार के वित्तीयन हेतु भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (SIDBI) को 5,000 करोड़ रुपये प्रदान किए जाएंगे।

- हथकरघा बुनकर सहकारी सोसाइटियों, जो आर्थिक दबावों का सामना कर रहे हथकरघा बुनकरों द्वारा ऋण की गैर-अदायगी के कारण वित्तीय रूप से अव्यवहार्य हो गई हैं, को सहायता प्रदान करने के लिए नाबार्ड को 3,000 करोड़ रुपये प्रदान किए जाएंगे।

ग्रामीण डाकघर एटीएम लगाएंगे

वित्तीय समावेशन में भारतीय डाक की भूमिका को सुदृढ़ बनाने के लिए सरकार डाकघरों को ग्रामीण क्षेत्रों में स्वचालित टेलर मशीनें (एटीएम) लगाने की अनुमति दे सकती है। भारतीय डाक विभाग राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी कार्यक्रम (NREGA) जैसी सामाजिक क्षेत्र की योजनाओं के लिए भुगतान प्रक्रिया में महत्वपूर्ण सुधार लाने के सम्बन्ध में कार्यरत है तथा वह लोगों को ऑनलाइन बैंकिंग सुविधाओं तक पहुंच का अवसर उपलब्ध कराने के लिए चुनिंदा क्षेत्रों में एटीएम नेटवर्क स्थापित करेगा। यह मुहिम उन्हें इस क्षेत्र में कार्यरत बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थाओं के समकक्ष ला खड़ी करेगी और इसप्रकार बैंकिंग कहे जाने के उनके मामले को सुदृढ़ता प्रदान करेगी।

फोन बैंकिंग के साथ अतिरिक्त सुरक्षा परत जुड़ी

भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा ग्राहकों के लिए प्रत्येक लेनदेन हेतु बैंकों से एकबारगी पासवर्ड प्राप्त करना अनिवार्य बना दिए जाने के परिणामस्वरूप 1ली फरवरी से फोन पर क्रेडिट कार्ड के उपयोग को एक अतिरिक्त सुरक्षा परत प्राप्त हो गई है। एकबारगी पासवर्ड के अभाव में ग्राहकों को क्रेडिट कार्ड से सम्बन्धित किसी भी टेलीफोन लेनदेन से इनकार कर दिया जाएगा।

बासेल III मानदंड सहमत समय-सीमारेखा के भीतर पूरी तरह कार्यान्वित होंगे

जी 20 देशों के वित्त मंत्री बासेल III मानदंडों को सहमत सीमारेखा के भीतर कार्यान्वित किए जाने पर सहमत हो गए हैं। अन्तरराष्ट्रीय निपटान बैंक (BIS) की बैंकिंग पर्यवेक्षण पर बासेल समिति (BCBS) लिखित बासेल III मानदंडों में बैंकों के लिए उनकी जोखिम प्रोफाइल को ध्यान में रखते हुए नये पूंजी नियमों का उल्लेख है। इसके अलावा, काउंटर पर खारीदी-बेची जाने वाली व्युत्पन्नियों के सम्बन्ध में तथा साख श्रेणी निर्धारण एजेन्सियों के श्रेणी- निर्धारण पर निर्भरता में कमी लाने के सम्बन्ध में वित्तीय स्थिरता बोर्ड (FSB) की सिफारिशों को अब अन्तरराष्ट्रीय रूप से सुसंगत एवं गैर-भेदभावपरक तरीके से कार्यान्वित किया जाएगा।

बैंकिंग से सम्बन्धित नीतियां

पेंशन देयताओं के सम्बन्ध में बैंकों को राहत

भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंकों को नया पेंशन विकल्प दिए जाने तथा ग्रेच्युटी की सीमाओं में वृद्धि से उद्भूत होने वाली देयताओं के विवेकसम्मत विनियामक विवेचन के सम्बन्ध में राहत प्रदान की है। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, उन मौजूदा कर्मचारियों को, जिन्होंने इसके पूर्व पेंशन का विकल्प नहीं चुना था, पेंशन विकल्प पुन: आरंभ कर दिए जाने तथा उसके साथ ही साथ 31 मार्च, 2011 को समाप्त वित्तीय वर्ष से आरंभ होने वाली ग्रेच्युटी की सीमाओं में वृद्धि के कारण उद्भूत अतिरिक्त देयता का प्रत्येक वर्ष से सम्बन्धित कुल रकम के न्यूनतम 1/5वें अंश की शर्त पर 5 वर्षों में परिशोधन कर सकते हैं।

गैर-बैंकिंग वित्तीय कम्पनियों के पूंजी अनुपात का न्यूनतम स्तर बढ़ा

भारतीय रिज़र्व बैंक ने जमाराशियां स्वीकार करने वाली गैर-बैंकिंग वित्तीय कम्पनियों की पूंजी पर्याप्तता सम्बन्धी अपेक्षा मार्च 2012 से (पहले के 12% से) बढ़ाकर 15% कर दिया है। भारतीय रिज़र्व बैंक ने पहले ही यह विनिर्दिष्ट कर दिया है कि सभी सर्वांगी महत्वपूर्ण और जमाराशियां न स्वीकार करने वाली गैर-बैंकिंग वित्तीय कम्पनियों (NBFC-ND-SI) को 31 मार्च 2011 तक न्यूनतम 15% का पूंजी पर्याप्तता अनुपात बनाए रखना होगा।

भारतीय रिज़र्व बैंक के निर्देश स्वर्ण ऋण कारबार में नवीकरण को प्रेरित करेंगे

स्वर्ण ऋण कारबार में संलग्न गैर-बैंकिंग वित्तीय कम्पनियां अपने कारबार मॉडेलों विशेषत: निधि जुटाने के तौर-तरीकों का कायापलट कर सकती हैं। यह भारतीय रिज़र्व बैंक के उस निर्देश के अनुसरण में होगा, जिसमें स्वर्णाभूषणों पर ऋण देने के लिए गैर-बैंकिंग वित्तीय कम्पनियों को दिए गए ऋण कृषि क्षेत्र को ऋण जोखिम नहीं माने जाएंगे। चूंकि नियमित ऋण प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को ऋणों की तुलना में अधिक मंहगे होते हैं, यह विनियमन इन गैर-बैंकिंग वित्तीय कम्पनियों, जिनकी 80, 000 करोड़ रुपये के स्वर्ण ऋण बाज़ार में 32% से अधिक की हिस्सेदारी होती है, की उधार लागत को निश्चित रूप से प्रभावित करेगा।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने पारदर्शिता की लम्बी राह पर एक कदम और आगे बढ़ाए

भारतीय रिज़र्व बैंक ने अब तक के इतिहास में पहली बार मौद्रिक नीति पर उसकी तकनीकी सलाहकार समिति के कार्यवृत्त को प्रकाशित करते हुए मुक्त एवं पारदर्शी बनने की दिशा में एक और कदम आगे बढ़ाया है। अब से ये कार्यवृत्त बैठक सम्पन्न होने के एक माह बाद भारतीय रिज़र्व बैंक की वेबसाइट पर निरंतर आधार पर डाले जाएंगे । इस मुहिम का उद्देश्य मौद्रिक नीति निर्धारण में अधिकाधिक पारदर्शिता लाना है।

बैंकिंग जगत की घटनाएं

बैंकों ने मोबाइल अंतरण पर बड़ी बाजी लगाई

अधिक से अधिक उधारदाताओं के एक ही नाव में सवार होने की तैयारी किए जाने के परिणामस्वरूप इंटरनेट मोबाइल भुगतान सेवा बैंकिंग उद्योग में चर्चा का नया विषय बनती जा रही है। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (NPCI) की पहलकदमी के परिणामस्वरूप हैंडफोन के माध्यम से तत्काल निधि अंतरण का विचार तेजी से बैंकिंग उद्योग की अभिरुचि के अनुरूप होता जा रहा है। निर्बाध रूप से अभिनव तकनीक अपनाने प्रति प्रारंभिक निष्क्रियता को दूर करते हुए बैंकों के एक समूह ने आगामी तीन माह में इंटरनेट मोबाइल भुगतान सेवा (IMPS) को साकार करने की अपनी योजनाएं तैयार कर ली हैं।

अप्रैल-दिसम्बर 2010 की अवधि में प्रतिभूतिकरण के परिमाण में एक तिहाई गिरावट

साख श्रेणी निर्धारण एजेन्सी भारतीय निवेश सूचना और साख श्रेणी निर्धारण एजेन्सी (ICRA) के अनुसार एकल कारपोरेट ऋण बिक्री में मंदी से प्रभावित प्रतिभूतिकरण परिमाण अप्रैल-दिसम्बर 2010

की अवधि में एक वर्ष पहले की अवधि वाले 28,200 करोड़ रुपये के स्तर से संकुचित हो कर 18, 800 करोड़ रुपये के स्तर पर आ गया। प्रतिभूतिकरण भावी नकदी प्रवाहों वाली मौजूदा आस्तियों को विपणनयोग्य प्रतिभूतियों में परिवर्तित करने की प्रक्रिया है। विशिष्ट रूप से, वाहन, गृह और कारपोरेट जैसे खण्डों में ऋणों को प्रतिभूतियों में समूहित एवं पैकेजबद्ध किया जाता है। उधारकर्ताओं से चुकौतियां प्रतिभूतियों में निवेश करने वालों को समनुदेशित कर दी जाती हैं। भारतीय रिज़र्व बैंक ने ब्याज दर को बढ़ा कर प्रतिभूतिकरण से सम्बन्धित मानदंडों को कठोर बना दिया है। भारतीय निवेश सूचना और साख श्रेणी निर्धारण एजेन्सी के अनुसार आस्ति-समर्थित प्रतिभूतियों (कार, उपभोक्ता ऋणों) के बाज़ार में कारबार सपाट था। बैंकों और वित्तीय संस्थाओं ने अप्रैल - दिसम्बर 2009 की अवधि में 10, 800 करोड़ रुपये की तुलना में 10, 600 करोड़ रुपये के ऋण दिए।

भारतीय रिज़र्व बैंक विदेशी बैंकों के ऋण बाज़ारों से 'पर्याप्त परावर्तन' को रोकने का इच्छुक

भारतीय रिज़र्व बैंक यह चाहता है कि सर्वांगी महत्वपूर्ण विदेशी बैंक भारत में अपनी शाखाओं की संख्या पूर्णत: स्वाधिकृत सहायक कम्पनियों के रूप में बढ़ाएं, जिस पर निगरानी और नियंत्रण रखना अपेक्षाकृत आसान होगा। विदेशी बैंकों की शाखाओं को उस समय सर्वांगी महत्वपूर्ण माना जाएगा जब उनकी आस्तियां (तुलन पत्र बाह्य मदों सहित) भारत में परिचालनरत सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (SCBs) की कुल आस्तियों के 0.25% हो जाएं। भारत में शाखाओं के माध्यम से परिचालनरत 34 विदेशी बैंकों के तुलन पत्र की आस्तियां मार्च, 2009 में सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की कुल 9.03% आस्तियों से घट कर 31 मार्च, 2010 को 7.2% रह गईं (जो तुलन पत्र बाह्य आस्तियों को मिला देने पर 10.52% होती हैं)। इसमें से 70% की हिस्सेदारी शीर्ष 5 बैंकों की रही। बाजार अंश में यह गिरावट वर्ष 2009-10 के दौरान भारतीय ऋण बाज़ारों से विदेशी बैंकों के पर्याप्त परावर्तन के कारण आई, यह इतनी अधिक थी कि ऋण की वर्षानुवर्ष वृद्धि (3 जुलाई, 2009 के दिन) 7.1% और (9 अख्तूबर, 2009 को) 15% रही। भारतीय रिज़र्व बैंक इस बात से अवगत है कि मूल कम्पनी के दिवालियेपन अथवा मूल कम्पनी के स्वदेशी विनियामक द्वारा चलनिधि को अवरुद्ध करने (ring fencing) की कार्रवाई का सहायक कम्पनियों पर वही प्रभाव हो सकता है, जो शाखाओं पर होता है। कुछेक देशों में विदेशी बैंकों द्वारा प्रवर्तित सहायक कम्पनियों ने तेजी वाले वर्षों में घरेलू बैंकों के खर्चों के विशाल अंश को अभिगृहीत कर लिया और उसके बाद स्वदेश में कठिनाइयों के उपस्थित होने पर मेज़बान देश में अपने परिचालनों में कटौती कर दी या फिर उसका परावर्तन कर दिया। अतएव भारतीय रिज़र्व बैंक यह सुनिश्चित करेगा कि घरेलू वित्तीय प्रणाली पर विदेशी बैंकों का प्रभुत्व न होने पाए।

ऋण - जमा अनुपात

अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों का ऋण-जमा (C-D) अनुपात 24 सितम्बर, 2010 के दिन 73.6% रहा। राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों में सर्वोच्च ऋण-जमा अनुपात चण्डीगढ़ में (124.3%) देखने में आया, जिसके बाद तमिलनाडु (113.6%) और आन्ध्र प्रदेश (110.5%) का स्थान था। बैंक-समूह स्तर पर, ऋण-जमा अनुपात भारतीय स्टेट बैंक और उसके सहयोगी बैंकों में (75.6%) और नये निजी क्षेत्र के बैंकों में (74.5% था। पुराने निजी क्षेत्र के बैंकों का ऋण-जमा अनुपात (73.5%), राष्ट्रीयकृत बैंकों का (73.2%), विदेशी बैंकों का (73.3%) और क्षेत्रीय गरामीण बैंकों का (61.0%) था, जो अखिल भारतीय स्तर से कमतर था। महानगरीय केन्द्रों का अनुपात (87.1%) सर्वाधिक रहा, जिसके बाद सुदूरवर्ती स्तर पर ग्रामीण केन्द्रों (59.4%) शहरी केन्द्रों (58.4%) का अनुपात था।

एक-वर्षीय जमा प्रमाण पत्र 24 माह के शिखर 10% पर

एक-वर्षीय जमा प्रमाण पत्रों (CDs) पर प्रतिफल 24 माह के शिखर 10% पर पहुंच गया है, क्योंकि भारतीय रिज़र्व बैंक ने अपनी मुख्य नीतिगत दरें बढ़ा दी हैं, इस प्रकार बैंकों पर मूल्य-पुनर्निर्धारण का दबाव बढ़ गया है। बैंकरों का कहना है कि दर में वृद्धि अनिवार्य रूप से मूल्य-पुनर्निर्धारण सम्बन्धी दबावों के कारण है, क्योंकि प्रति-मोचन मार्च महीने में होता है।

चलनिधि की कमी भारतीय रिज़र्व बैंक की सहूलियत के स्तर पर पहुंची

एक माह तक लगभग 80,000 करोड़ रुपये पर मंडराने के बाद चलनिधि की कमी घट कर 50, 000 करोड़ रुपये के आरतीय रिज़र्व बैंक के सहूलियत वाले स्तर पर पहुंच गई है। बैंकों ने दोनों पुनर्खरीद सुविधाओं से 56, 085 करोड़ रुपये उधार लिए। व्यापारी इस गिरावट का कारण सरकारी खर्च में वृद्धि को बता रहे हैं। भारतीय रिज़र्व बैंक के आंकड़ों के अनुसार शीर्ष बैंक के पास सरकार का जमाशेष 1, 767 करोड़ रुपये बढ़ कर 28 जनवरी को 68. 471 करोड़ रुपये हो गया।

बैंक ऋण उठाव 24% बढ़ा, जमाराशियां 16% बढ़ीं

देश के सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के बैंकों से ऋण के उठाव में 11 फरवरी को समाप्त 1 वर्ष की अवधि में 24% से अधिक की वृद्धि हुई, जिससे औद्योगिक गतिविधि में तेजी का संकेत प्राप्त होता है। इस अवधि में ऋण उठाव एक वर्ष पहले के 51.87 लाख करोड़ रुपये के मुकाबले 38.98 लाख करोड़ रुपये रहा। इसीप्रकार, जमाराशियां 12 फरवरी, 2011 को 44.51 लाख करोड़ रुपये से बढ़ कर 51.87 लाख करोड़ रुपये हो गईं।

आधारभूत सुविधा कम्पनियों के ऋण चूक अदला-बदली में बैंकों के निवेश की सीमा निर्धारित

भारतीय रिज़र्व बैंक ने यह विनिर्णय दिया है कि आधारभूत सुविधा कम्पनियों के ऋण चूक अदला-बदली में बैंकों का निवेश (एक्सपोजर) अब उनके निवेश संविभाग के 10% तक सीमित होगा। निवेशक कारपोरेट बॉण्डों से सम्बन्धित जोखिमों से स्वयं को प्रतिरक्षित रखने हेतु ऋण चूक अदला-बदली (CDS) का उपयोग करते हैं। इसके अलावा, कारपोरेट बॉण्डों के सम्बन्ध में अपने दिशानिर्देशों के प्रारूप में भारतीय रिज़र्व बैंक ने विदेशी संस्थागत निवेशकों (FIIs) को प्रयोक्ता श्रेणी में शामिल कर लिया है। इन कम्पनियों को कारपोरेट बॉण्डों से सम्बन्धित अपने अन्तर्निहित ऋण जोखिम को प्रतिरक्षित करने के लिए ही ऋण संरक्षण खरीदने की अनुमति दी जाएगी।

वित्त मंत्रालय का सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों से आवास ऋण मोचन-निषेध समाप्त करने का आह्वान

गृह ऋण के उधारकर्ताओं को एक महत्वपूर्ण राहत के रूप में सरकार ने यह सुझाव दिया है कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक गृह ऋणों पर समय-पूर्व अदायगी से सम्बन्धित जुरमाने अथवा मोचन-निषेध प्रभारों की वसूली बंद कर दें। बैंक ऐसे उधारकर्ताओं, जो अपने गृह ऋण की अवधि के पूर्व पूर्ण रूप से या उसके एक हिस्से की चुकौती करते हैं, पर मूल राशि के 2% से अधिक का जुरमाना लगाते हैं। अब वित्त मंत्रालय ने ऋणदात्री संस्थाओं को यह सलाह दी है कि वे उधारकार्ता के स्वयं अपनी निधियों से गृह ऋण की समय-पूर्व चुकौती किए जाने की स्थिति में इस जुरमाने को रोक दें। भारतीय स्टेट बैंक जैसे कुछेक सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक इस सुझाव को पहले ही कार्यान्वित कर चुके हैं।

बैंक जमाराशियों में 17% की वृद्धि के कारण चलनिधि की स्थिति सुधरी

इस वर्ष फरवरी 2011 तक बैंक जमाराशियों में 17% की वृद्धि हुई है, जिससे बढ़ी हुई जमा दरों की पृष्ठभूमि में बैंकों के लिए सुधरे हुए चलनिधि परिदृश्य का संकेत मिलता है। ऋणों के उठाव में भी तेजी की प्रवृत्ति बनी रही, जिसमें वार्षिक आधार पर 24% की वृद्धि हुई। बैंकों ने 11 फरवरी को समाप्त पखवाड़े में लगभग 58,000 करोड़ रुपये जुटाए; जबकि पिछले पखवाड़े में जमा अभिवृद्धि लगभग 38, 000 करोड़ रुपये रही। भारतीय रिज़र्व बैंक ने इस वित्तीय वर्ष में 18% की जमा वृद्धि का अनुमान लगाया था।

प्रत्यक्ष बिक्री एजेन्टों और ऋण वसूली एजेन्टों के सम्बन्ध में ग्राहक शिकायतों में उल्लेखनीय गिरावट

शिकायतों का स्वरूप	---------- के दौरान प्राप्त शिकायतें		
	2007-08	2008-09	2009-10
जमा खाते	5,612	6,708	3,681
विप्रेषण	5,219	5,335	5,708

क्रेडिट कार्ड	10,129	17,648	18,810
ऋण एवं अग्रिम	6,054	8,174	6,612
सूचना के बिना प्रभार	3,740	4,794	4,764
पेंशन	1,582	2,916	4,831
प्रतिबद्धता पूरी करने में विफलता	6,388	11,824	11,569
प्रत्यक्ष बिक्री एजेन्ट और वसूली एजेन्ट	3,128	3,018	1,609
नोट एवं सिक्के	141	113	158
अन्य	5,900	8,589	18,840
विषय से परे	-	-	2,684
योग	47,887	69,117	79,266

विनियामकों के कथन

बैंकों के विदेशी मुद्रा कारबार के मानदंड कठोर बनाए गए

बैंकों के विदेशी मुद्रा कारबार से सम्बन्धित मानदंडों को कठोर बनाते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक ने उनसे अन्य बैंकों से व्यापारियों के रूप में भर्ती किए गए कार्मिकों की पृष्ठभूमि की यथोचित जांच करने के लिए कहा है। इन मानदंडों के अनुसार बैंकों को व्यापारियों के लिए वार्षिक आधार पर निरंतर दो सप्ताह के विराम की एक ऐसी प्रणाली लागू करनी होगी कि कोई व्यापारी कार्य पर निरंतर रूप से न रहे। भारतीय रिज़र्व बैंक का कहना है कि यह सुनिश्चित करने के लिए दिशानिर्देशों में संशोधन आवश्यक था कि बैंक उनके विदेशी मुद्रा कारबार में अपेक्षित स्तर बनाए रखें। भारतीय रिज़र्व बैंक का यह भी कहना है कि सौदे के परिचालनों पर प्रभावी नियत्रण की आवश्यकता अत्यधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि विनिमय दरों, सौदे की स्थितियों एवं असंतुलनों में हेरफेर किए जाने की संभावनाएं मौजूद हैं।

निवासी विदेशी मुद्रा का क्रय-विक्रय नहीं कर सकते

भारतीय रिज़र्व बैंक ने इस बात का खुलासा कर दिया है कि विदेशी मुद्रा प्रबन्ध अधिनियम (FEMA) के तहत भारतीय निवासी घरेलू अथवा विदेशी बाज़ारों में विदेशी मुद्रा का क्रय-विक्रय नहीं कर सकते। इससे भी बढ़ कर विदेशी मुद्रा प्रबन्ध अधिनियम के तहत इलेक्ट्रॉनिक अथवा इंटरनेट लेनदेन के माध्यम से विदेशो को विदेशी मुद्रा के लेनदेन के रूप में किसी भी रूप वाले विप्रेषण की भी अनुमति नहीं है। हालांकि, निवासियों को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) द्वारा मान्यताप्राप्त शेयर

बाज़ारों में खरीदी-बेची जाने वाली मुद्रा वायदा और विकल्प संविदाओं की खरीद-बिक्री करने की भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा विनिर्दिष्ट शर्तों के अध्ययीन क्रय-विक्रय करने की अनुमति है।

अस्थिर पूंजी प्रवाह का प्रबन्धन करना कठिन होगा

भारतीय रिज़र्व बैंक के लिए अस्थिर पूंजी प्रवाहों का प्रबन्धन करना कठिन हो सकता है, क्योंकि आगामी पांच वर्षों में परिवर्तनीय बॉण्डों का मोचन इस दबाव में और वृद्धि करने वाला है। भारतीय रिज़र्व बैंक की उप गवर्नर श्रीमती श्यामला गोपीनाथ ने विचार व्यक्त किया है कि "विदेशी मुद्रा परिवर्तनीय बॉण्डों (FCCBs) के कारण मोचन से सम्बन्धित दबाव 2010-11 से निर्मित होने शुरू हो जाएंगे तथा 2012-13 तक के अगले कुछेक वर्षों में अपने चरम पर पहुंच जाएंगे। विदेशी देयताओं के प्रति प्रवर्धित एक्सपोजर विदेशी मुद्रा की प्रारक्षित निधि की तुलना में विदेशी ऋणों के अनुपात में तीव्र वृद्धि में प्रतिबिंबित होता है, जो 2008-09 में सकल घरेलू उत्पाद के 89.1% से बढ़ कर जून 2010 के अंत में 99.1% हो गए।"

विदेशी मुद्रा विनिमय

मार्च 2011 माह के लिए लागू विदेशी मुद्रा अनिवासी (बैंक) / अनिवासी विदेशी जमाराशियों की न्यूनतम दरें

अनिवासी विदेशी जमाराशियों की लिबोर / अदला-बदली (swap) दरें					
मुद्रा	लिबोर	अदला-बदली (swap)			
	1 वर्ष	2 वर्ष	3 वर्ष		
अमरीकी डालर	0.79025	0.9100	1.4400		

विदेशी मुद्रा अनिवासी (बैंक) जमाराशियों की लिबोर / अदला-बदली दरें

	लिबोर	अदला-बदली			
मुद्रा	1 वर्ष	2 वर्ष	3 वर्ष	4 वर्ष	5 वर्ष
अमरीकी डालर	0.79025	0.910	1.440	1.935	2.360
जीबीपी	1.57625	1.8920	2.3380	2.6980	2.9770
यूरो	1.69500	2.111	2.407	2.638	2.828
जापानी येन	0.56875	0.440	0.517	0.605	0.710
कनाडाई डालर	1.93500	1.911	2.102	2.542	2.780
आस्ट्रेलियाई डालर	5.65000	5.263	5.385	5.633	5.758

स्रोत : भारतीय विदेशी मुद्रा व्यापारी संघ

विदेशी मुद्रा प्रारक्षित निधियां

मद	18 फरवरी, 2011 के दिने	18 फरवरी, 2011 के दिन
	करोड़ रुपये	मिलियन अमरीकी डालर
कुल प्रारक्षित निधियां	13,59, 924	300, 628
क) विदेशी मुद्रा आस्तियां	122, 25, 796	271, 314
ख) सोना	1, 00, 739	21, 924
ग) विशेष आहरण अधिकार	23, 210	5, 137
अन्तरराष्ट्रीय मुद्रा कोष में प्रारक्षति निधि की स्थिति	10,179	2,253

सूक्ष्मवित्त

1 अप्रैल से सूक्ष्म वित्त संस्थाओं की दर सीमा 24% होगी

डॉ. के.सी चक्रवर्ती, उप गवर्नर, भारतीय रिज़र्व बैंक ने कहा है कि सूक्ष्म वित्त संस्थाओं की उधार दरों की 24% की सीमा निर्धारित किए जाने से सम्बन्धित सुझाव 1 अप्रैल, 2011 से कार्यान्वित किया जाएगा। इस बीच शीर्ष बैंक ने मालेगाम समिति की रिपोर्ट की अन्य सिफारिशों को कार्यान्वित किए जाने के बारे में सभी हितधारकों के साथ विचार-विमर्श आरंभ कर दिया है।

बैंक सूक्ष्म वित्त संस्थाओं को उधार देने हेतु सहायता संघ बनाएंगे

बैंकों द्वारा सूक्ष्म वित्त संस्थाओं को उधार देने के लिए सहायता संघीय दृष्टिकोण अपनाए जाने तथा भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा बैंकों को सूक्ष्म वित्त संस्थाओं को प्रदत्त ऋणों को पुनर्संरचित करने की अम्मति दिए जाने के परिणामस्वरूप सूक्ष्म वित्त संस्थाओं को अंत में कुछ राहत मिलने वाली है। खातों की पुनर्संरचना से कम से कम कुछेक सूक्ष्म वित्त संस्थाओं को अति आवश्यक चलनिधि प्राप्त होने की आशा की जाती है। सूक्ष्म वित्त संस्थाओं को अनुमानत: 2,000 करोड़ रुपये के आकस्मिक निधीयन की आवश्यकता है, जिसमें से लाभ के लिए सूक्ष्म वित्त संस्थाओं को 1,200 करोड़ रुपये और लाभ के लिए नहीं सूक्ष्म वित्त संस्थाओं को लगभग 8,00 करोड़ रुपये की आवश्यकता है। इसके अलावा बैंकिंग उद्योग द्वारा 1,500 करोड़ रुपये की रकम तक के ऋणों को पुनर्संरचित किए जाने आवश्यक होंगे। भारतीय रिज़र्व बैंक ने सूक्ष्म वित्त संस्थाओं को प्रदत्त ऋणों को पुनर्संरचित करने हेतु

बैंकों को एकबारगी माफी प्रदान की थी। तदनुसार, मार्च 2011 के पूर्व पुनर्संरचित इन अप्रतिभूत ऋणों को मानक आस्तियां माना जाएगा।

अर्थव्यवस्था

इस वित्तीय वर्ष में कृषि क्षेत्र वृद्धि को 8.6% तक ले जाएगा

भारतीय अर्थव्यवस्था में पिछले वित्तीय वर्ष के 8% के मुकाबले वर्ष 2010-11 के दौरान 8.6% की वृद्धि दर्ज होने की आशा है। राष्ट्रीय आय के अग्रिम अनुमानों के अनुसार यह अपेक्षाकृत अधिक वृद्धि दर मुख्यत: उद्योद एवं सेवा क्षेत्रों में सतत तेजी की पृष्टभूमि में कृषि के बेहतर कार्य-निष्पादन के कारण संभव है। हालांकि वृद्धि से सम्बन्धित समग्र सकारात्मक कहानी मुद्रास्फीति से सम्बन्धित चिंताओं द्वारा संतुलित है। इसका आंशिक रूप से प्रतिबिंबन सकल घरेलू उत्पाद (GDP) में वर्तमान बाज़ार मूल्य पर दर्ज वृद्धि (18.3%) और स्थिर मूल्य पर दर्ज वृद्धि (8.6%) के बीच भारी अंतर में होता है। निवल राष्ट्रीय आय के 64,66,860 करोड़ रुपये होने का अनुमान है, जो 118.6 करोड़ की जनसंख्या के लिए 54,527 रुपये की 'प्रति व्यक्ति आय' में रूपांतरित होती है।

प्रधान मंत्री का पैनल मुद्रास्फीति को रोकने के लिए कठोर नीतिगत प्रणाली के पक्ष में

प्रधान मंत्री की आर्धिक सलाहकार परिषद (PMEAC) ने अर्थव्यवस्था में वर्ष 2010-11 में 8.6% और 2011-12 में 9% की वृद्धि होने का अनुमान लगाया है। वह यह भी महसूस करती है कि अर्थव्यवस्था को मुद्रास्फीति से सुरक्षित रखने के लिए मोद्रिक एवं राजकोषीय नीतियों को यथोचित रूप से कठोर बनाए जाने की आवश्यकता है। इसके अलावा, राजकोषीय समेकन की राह पर वापस आने के उद्देश्य से प्रधान मंत्री की आर्धिक सलाहकार परिषद ने कुचेक प्रेरणादायी उपायों को वापस लिए जाने का सुझाव दिया है जो उद्योग को वैश्वक वित्तीय संकट पर काबू पाने के लिए प्रदान किए गए थे।

पूंजी बाज़ार

आईईएक्स ने ऊर्जा प्रमाण पत्रों के क्रय-विक्रय की शुरूआत की

भारत के अग्रणी विद्युत शेयर बाज़ार, दि इंडियन इनर्जी एक्सचेंज (IEX) ने नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाण पत्र (REC) के क्रय-विक्रय की शुरूआत कर दी है। कम्पनी को पहले क्रय-विक्रय सत्र में ही कुल 125 गैर-सौर नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाण पत्रों और 11 सौर नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाण पत्रों की खरीद बोलियां प्राप्त हुईं। पहली बोली में पांच पोर्टफोलियो ने सहभागिता की। भारत में नवीकरणीय ऊर्जा के इतिहास

में यह एक कीर्तिमान है तथा इससे नवीकरणीय और सह-उत्पादन विद्युत संयंत्रों के लिए नये अवसर निर्मित होने अवश्यंभावी हैं।

बीमा

स्वास्थ्य बीमा की सुवाह्यता 1 जुलाई से

असंतुष्ट स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी धारकों को एक बड़ी राहत के रूप में क्षेत्र के विनियामक भारतीय बीमा और विकास प्राधिकरण (IRDA) ने उन्हें 1 जुलाई, 2011 से सुवाह्यता- पॉलिसियों को एक बीमाकर्ता से दूसरे बीमाकर्ता को उन्हीं शर्तों पर स्थानांतरित करने की सुविधा प्रदान कर दी है। सुवाह्यता की उक्त सुविधा पॉलिसी धारकों को उन्हीं शर्तों पर किसी दूसरे बीमाकार्ता को स्थानांतरित करने में समर्थ बनाएगी। स्वीकर्ता बीमाकर्ता को कम से कम पिछली बीमा पॉलिसी में बीमित रकम तक की सुरक्षा प्रदान करनी होगी। नयी सुविधा से उन पॉलिसी धारकों को भी सहायता प्राप्त होगी जो पहले से मौजूद बीमारियों (PEDs) के लिए सुरक्षा से हाथ धो बैठने के भय से आजीवन एक ही बीमाकर्ता से बंधे रहते हैं। भारतीय बीमा और विकास प्राधिकरण का कहना है कि "स्वास्थ्य बीमा योजनाओं को सभी बीमा कम्पनियों तक सुवाह्य बनाते हुए पॉलिसी धारकों को विच्छिन्नता और उसके परिणामस्वरूप पहले से मौजूद बीमारियों (PEDs) के लिए सुरक्षा खो बैठने के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान किया जाना आवश्यक है।"

इर्डा ने सामान्य बीमा कम्पनियों के विलयन के मानदंड जारी किए

बीमा क्षेत्र के मुक्त किए जाने के 10 वर्षों से भी अधिक समय के बाद भारतीय बीमा और विकास प्राधिकरण ने सामान्य बीमा व्यवसाय में ऐसे विलयनों एवं अभिग्रहणों (M&As) की अनुमति देने का प्रस्ताव किया है, जिसमें इस प्रकार की 24 प्रतिस्पर्धी कम्पनियों के बीच समेकन लाए जाने की आवश्यकता है, जिनमें से अधिकांश हानि उठाने वाली हैं। भारतीय बीमा और विकास प्राधिकरण IRDA) ने कहा है कि पॉलिसी धारकों के हितों को सुरक्षित रखने के लिए उन्हें बीमाकर्ताओं को छोड़ने का अधिकार अवश्य दिया जाना चाहिए, जो अभिग्रहण के लिए अवरुद्ध पड़ा है।

नयी नियुक्तियां

श्री एस. करुप्पास्वामी भारतीय रिज़र्व बैंक के कार्यपालक निदेशक बनें

भारतीय रिज़र्व बैंक ने श्री एस. करुप्पास्वामी को अपना नया कार्यपालक निदेशक नियुक्त किया है। श्री एस. करुप्पास्वामी व्य और बजटीय नियंत्रण विभाग तथा सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, विधि विभाग और शहरी सहकारी बैंक विभाग का कामकाज संभालेंगे।

श्री यू. के. सिन्हा भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड के प्रमुख हुए

सरकार ने भारतीय यूनिट ट्रस्ट की आस्ति प्रबन्धन कम्पनी के प्रमुख श्री यू.के. सिन्हा को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया है। श्री सिन्हा ने श्री सी.बी. भावे का स्थान ग्रहण करते हुए 18 फरवरी को अपना कार्यभार ग्रहण कर लिया है।

श्री शशि कांत शर्मा वित्तीय सेवाओं के सचिव हुए

वर्ष 1976 के बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) के बिहार संवर्ग वाले श्री शशि कांत शर्मा ने वित्त मंत्रालय में वित्तीय सेवा विभाग के सचिव के रूप में कार्यभार ग्रहण कर लिया है।

श्री मिलिन्द बर्वे भारतीय पारस्परिक निधि संघ के अध्यक्ष नियुक्त

एचडीएफसी की आस्ति प्रबन्धन कम्पनी के प्रबन्ध निदेशक श्री मिलिन्द बर्वे को भारतीय पारस्परिक निधि संघ (AMFI) के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है, जबकि रिलाएंस पारस्परिक निधि के मुख्य कार्यपालक अधिकारी क्षी संदीप सिक्का की नियुक्ति उपाध्यक्ष के रूप में हुई है।

उत्पाद एवं गंठजोड़

संगठन	जिस संगठन के साथ गंठजोड़ हुआ	उद्देश्य
आईसीआईसीआई बैंक	भारतीय सेना	सैन्य कार्मिकों को आधुनिक बैंकिंग उत्पाद एवं सेवाएं उपलब्ध कराने हेतु। इस समझौता ज्ञापन के फलस्वरूप सैन्य कार्मिक बैंक द्वारा 5800 एीएमों और 2510 शाखाओं के नेटवर्क के माध्यम से प्रदत्त उत्पादों एवं सेवाओं की व्यापक श्रेणी तक पहुंचने में समर्थ हो सकेंगे।
आईसीआईसीआई बैंक	एअरसेल	वित्तीय समावेशन को आगे बढ़ाना। समझौता ज्ञापन के तहत आईसीआईसीआई बैंक एअरसेल के साथ मिलकर बैंक से बचत खातों, पूर्व-प्रदत्त लिखतों और ऋण उत्पादों सहित विविध प्रकार के वित्तीय उत्पाद प्रदान करेगा। आईसीआईसीआई बैंक एअरसेल की वितरण शक्ति का लाभ उठाएगा तथा बैंकिंग सेवा-रहित एवं अल्प बैंकिंग सेवा सहित जनसंख्या को लक्ष्यांकित करेगा।

इंडियन बैंक	टीवीएस मोटर	खुदरा ऋण बही को और सुदृढ़ बनाने के लिए तथा टीवीएस मोटर द्वारा विनिर्मित तिपहिया वाहनों एवं वाणिज्यिक वाहनों का वित्तीयन करने हेतु। उक्त समझौता ज्ञापन तिपहिया वाहनों को संरचनात्मक बैंकिंग की परिधि में लाने में सहायक होगा।
पंजाब नैशनल बैंक	वीजमैन फॉरेक्स	विदेशी आवक विप्रेषणों के संचालन के लिए

अन्तरराष्ट्रीय निपटान बैंक (BIS)

बासेल समिति और उसकी सदस्यता का इतिहास

वर्ष 1974 के अंत में 10 देशों के समूह वाले केन्द्रीय बैंकों के गवर्नरों द्वारा स्थापित बासेल समिति की वर्ष में चार बैठकें नियमित रूप से आयोजित होती हैं। इसमें चार मुख्य कार्यदल हैं, जिनकी बैठकें भी नियमित आधार पर होती हैं।

उक्त समिति के सदस्य अर्जेन्टीना, आस्ट्रेलिया, बेल्जियम, ब्राजील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, हांगकांग एसएआर, भारत, इंडोनेशिया, इटली जापान, कोरिया, लक्जमबर्ग, मैक्सिको, नीदरलैंड, रूस, सऊदी अरब, सिंगापुर, दक्षिण अफ्रीका,स्पेन, स्वीडन, स्विटजरलैंड, तुर्की, यू.के. और संयुक्त राज्य अमेरिका से लिये गए हैं। देशों का प्रतिधित्व उनके केन्द्रीय बैंकों तथा जहां केन्द्रीय बैंक नहीं हैं, वहां बैंकिंग व्यवसाय के विवेकपूर्ण पर्यवेक्षण के औपचारिक उत्तरदायित्व वाले प्राधिकारियों द्वारा भी होता है। समिति के वर्तमान अध्यक्ष दि नीदरलैंड्स बैंक के अध्यक्ष श्री नौउत वेलिंक हैं, जिन्होंने 1 जुलाई, 2006 को श्री जैमे करुआना का स्थान ग्रहण किया था।

उक्त समिति के पास कोई औपचारिक सार्वभौम (supernational) प्राधिकार नहीं है और इसके निष्कर्षों को कोई वैधानिक शक्ति नहीं प्राप्त है। इसके बजाय यह व्यापक पर्यवेक्षी मानक एवं दिशानिर्देश तैयार करती है तथा उत्तम प्रथाओं के वक्तव्यों की इस प्रत्याशा के साथ सिफारिश करती है कि अलग-अलग प्राधिकरण विस्तृत व्यवस्थाओं - सांविधिक अथवा अन्यथा के माध्यम से उन्हें कार्यान्वित करने के ऐसे उपाय करेंगे, जो स्वयं उनकी राष्ट्रीय प्रणालियों के लिए सर्वाधिक अनुकूल हों। इस विधि से समिति सदस्य देशों की पर्यवेक्षी तकनीकों में विस्तृत समरूपण लाने का प्रयास किए बिना ही समान दृष्टिकोणों और समान मानकों की दिशा में अभिसरण को प्रोत्साहित करती है।

उक्त समिति केन्द्रीय बैंक के गवर्नरों तथा अपने सदस्य देशों के पर्यवेक्षण प्रमुखों को रिपोर्ट करती है। वह उसकी ओर से की गई महत्वपूर्ण पहलकदमियों पर उनकी पुष्टि प्राप्त करती है। इन निर्णयों में वित्तीय मुद्दों की व्यापक श्रृंखला का समावेश होता है। उक्त समिति के कार्यों का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य

दो मूलभूत सिद्धान्तों- यह कि किसी भी विदेशी बैंकिंग प्रतिष्ठान को पर्यवेक्षण से बच नहीं निकलना चाहिए; और यह कि पर्यवेक्षण पर्याप्त होना चाहिए - की तलाश में अन्तरराष्ट्रीय पर्यवेक्षण की व्यापकता में विद्यमान अंतरों को मिटाना रहा है। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए समिति ने 1975 से प्रलेखों की एक श्रृंखला जारी कर रखी है।

वित्तीय क्षेत्र की मूलभूत जानकारी

मुद्रास्फीति सम्बद्ध जमा प्रमाणपत्र

संघीय रूप से बीमित ऐसी ऋण प्रतिभूतियां जो नियमित जमा प्रमाणपत्रों (CDs) के जैसी ही होती हैं, किन्तु वार्षिक रूप से परिवर्तनशील ऐसी ब्याज दरों के माध्यम से निवेशकों को स्फीतिकारी संरक्षण प्रदान करती हैं, जो मुद्रास्फीति के माप, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में होने वाले परिवर्तनों के परिणामस्वरूप बढ़ती या घटती रहती है। क्योंकि इनसे निवेशक को कम स्फीतिकारी जोखिम होता है, इस प्रकार के जमा प्रमाणपत्र पर नियमित जमा प्रमाणपत्रों की तुलना में थोडी कमतर ब्याज दरें प्राप्त होती हैं। जमा प्रमाणपत्रों के नियमित कम चूक जोखिम के साथ मिलकर यह मुद्रास्फीति संरक्षण अत्यधिक सुरक्षित निवेशों की भरपाई कर देता है। इन प्रतिभूतियों से किसी निवेशक को भारी लाभ की प्राप्ति कभी नहीं होगी, किन्तु वे विविधीकृत पोर्टफोलियो में एक भूमिका निभा सकते हैं अथवा जोखिम-विमुख निवेशकों के लिए एक आदर्श निवेश सिद्ध हो सकते हैं।

शब्दावली

रिंग फेन्सिंग

जब कोई विनियमित सार्वजनिक उपयोग की वस्तुओं वाला कारोबार स्वयं को उस मूल कम्पनी से वित्तीय रूप से अलग कर लेता है, जो गैर-विनियमित कारोबार में संलग्न होती है। यह कार्य मुख्यत: बिजली, पानी और मूलभूत दूरसंचार जैसी अनिवार्य सेवाओं के उपभोक्ताओं को मूल कम्पनी में निर्मित होने वाली वित्तीय अस्थिरता अथवा दिवालियेपन से संरक्षित रखने के लिए किया जाता है जो उनके खुले बाज़ार के कार्यकलापों से पैदा होती है। रिंग फेन्सिंग सार्वजनिक उपयोग की वस्तुओं के कारबार के भीतर वाली ग्राहक सूचना को मूल कम्पनी के अन्य व्यावसायों के लाभ के लिए प्रयासों से गोपनीय रखती है।

आईआईबीएफ की गतिविधियां

सूक्ष्म / स्थूल शोध

शोध शिक्षा का एक महत्वपूर्ण पहलू होती है। शोध-अध्ययन संस्था की विगत प्रवृत्तियों को समझने तथा भावी घटनाओं को एक ऐसा आकार देने में सहायता करता है कि कार्यक्रमों को उपयुक्त रीति से आशोधित किया जा सके और प्रभावी बनाया जा सके। शोध संगठनों की आरंभ किए जाने वाले उपयुक्त उपायों की जांच-पड़ताल करने की दृष्टि से समस्याओं को समझने में भी सहायता करती है। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए संस्थान ने वर्ष 2003 में बैंकिंग एवं वित्त में चुनिंदा क्षेत्रों में शोध अध्ययन का निधीयन करने की पहलकदमी आरंभ की थी। उक्त पहलकदमी को 'स्थूल शोध' के रूप में जाना जाता है; जिसमें स्थूल शब्द शोध के प्रसार क्षेत्र को निरूपित करता है तथा इसे संस्थान की शोध से सम्बन्धित अन्य पहलकदमियों यथा 'सूक्ष्म शोध' से अलग कर देता है, जो कुछ हद तक संस्थान के सदस्यों (बैंकरों) के लिए उनकी रुचि के विषयों पर एक निबंध प्रतियोगिता के जैसी होती है। आरंभ की गई शोध का व्योरा संस्थान की वेबसाइट www.iibf.org.in. पर उपलब्ध है।

सीएआईआईबी प्रमाणपत्र धारकों के लिए सतत व्यावसायिक विकास

अपने सदस्यों की सतत व्यावसायिक विकास की आवश्यकता को पूरा करने के लिए संस्थान ने ऐसे अभ्यर्थियों को जिन्होंने अपनी सीएआईआईबी परीक्षा पूरी / उत्तीर्ण कर ली है, इस तथ्य को ध्यान में रखे बिना कि उन्होंने अपनी परीक्षा कब उत्तीर्ण की थी, उनकी पसंदगी के चयनात्मक विषयों की परीक्षा में सम्मिलित होने का अवसर देने का निर्णय लिया है। तदनुसार ऐसे अभ्यर्थी, जिन्होंने सीएआईआईबी परीक्षा पहले से उत्तीर्ण कर रखी है, उक्त परीक्षा के लिए आवेदन करते हुए एक बार में एक चयनात्मक विषय की परीक्षा में शामिल हो सकते हैं। वर्तमान में ग्यारह चयनात्मक विषय हैं। अपेक्षित विशेषज्ञता के स्वरूप को ध्यान में रखते हुए अभ्यर्थी को एक बार में केवल एक चयनात्मक विषय की परीक्षा में शामिल होने की अनुमति दी जाएगी। चयनात्मक विषय की परीक्षा उत्तीर्ण कर लेने पर अभ्यर्थी को उत्तीर्ण किए गए चयनात्मक विषय का उल्लेख करते हुए सीएआईआईबी के पश्चात् वाली योग्यता के रूप में एक अलग प्रमाणपत्र प्रदान किया जाएगा। आगे चल कर कोई अभ्यर्थी विभिन्न चयनात्मक विषयों की परीक्षा में शामिल हो सकता है, जिसकी गणना संस्थान द्वारा प्रदान किए जाने वाले सतत व्यावसायिक विकास प्रमाणन के लिए की जाएगी। अधिक जानकारी के लिए www.iibf.org.in. देखें।

संस्थान समाचार

इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ बैंकिंग एण्ड फाइनैन्स की परीक्षाओं / पाठ्यक्रमों के लिए आवेदन करने वाले साधारण आजीवन सदस्यता ग्रहण करने वाले नये सदस्यों और गैर-सदस्यों के लिए सूचना

संस्थान ने उसकी परीक्षाओं / पाठ्यक्रमों के लिए आवेदन करने वाले साधारण आजीवन सदस्यता ग्रहण करने वाले नये सदस्यों और गैर-सदस्यों के लिए 1 अप्रैल, 2011 के बाद से अपने ग्राहक को जानिए मानदंड लागू करने का निर्णय लिया है। संस्थान की आजीवन सदस्यता ग्रहण करने वाले सभी पात्र कर्मचारियों को अब से उनके साधारण सदस्यता वाले आवेदन पत्र के साथ संस्थान के सत्यापन के लिए उनके परिचय के प्रमाण के रूप में निम्नलिखित में से कोई भी एक प्रलेख प्रस्तुत करना होगा :

1. नियोक्ता द्वारा जारी फोटो परिचय पत्र अथवा
2. पैन कार्ड अथवा
3.ड्राइविंग लाइसेंस अथवा
4. चुनाव हेतु मतदाता पहचान पत्र अथवा
5. पासपोर्ट

अधिक जानकारी के लिए www.iibf.org.in. देखें।

- भारत के समाचार पत्र पंजीकार (रजिस्ट्रार) के पास संख्या : 69228 / 98 के अधीन पंजीकृत पंजीकरण संख्या : एमएच / एमआर / दक्षिण -42 / 2010 -12
  पूर्व-अदायगी के बिना प्रेषित करने का लाइसेंस संख्या एमआर/ तक/ डब्ल्यूपीपी-15 / दक्षिण / 2010 - 12 मुंबई
- मुंबई पत्रिका चैनल छंटाई कार्यालय मुंबई - 1 पर प्रत्येक महीने की 25वीं और 28वीं तारीख को प्रेषित करें।

जाम्बिया इंस्टिट्ययट ऑफ बैंकिंग एण्ड फाइनैन्सियल सर्विसेज के साथ सहयोग

संस्थान ने जाम्बिया इंस्टिट्ययट ऑफ बैंकिंग एण्ड फाइनैन्सियल सर्विसेज के साथ एक सहयोग व्यवस्था को अंतिम रूप दे दिया है, जिसके तहत संस्थान की जेएआईआईबी परीक्षा को जाम्बियाई आवश्यकताओं के अनुकूल बनाया गया है तथा वह बैंकिंग एवं वित्तीय सेवाओं में व्यावसPDBFS) पाठ्यक्रम की 18 फरवरी, 2011 को लुसाका में बैंक ऑफ जाम्बिया के उप गवर्नर डॉ. तुकिया कंकासा द्वारा शुरूआत की गई। संस्थान ने संकसय सदस्यों के लिए उन प्रशिक्षकों के लिए एक प्रशिक्षण कार्यशाला का संचालन भी किया, जो जाम्बियाई इंस्टिट्यूट द्वारा संचालित की जाने वाली शैक्षणिक कक्षाओं से सम्बद्ध होंगे। 13 से 18 फरवरी 2011 तक आयोजित इस कार्यशाला में 40 प्रशिक्षार्थियों ने भाग लिया। बैंकिंग एवं वित्तीय सेवाओं में व्यावसायिक डिप्लोमा की पहली परीक्षा जून 2011 में आयोजित किए जाने की आशा है।

परियोजना वित्त में प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम

संस्थान आईएफएमआर, चेन्नै के सहयोग से परियोजना वित्त में 14वें प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम का आयोजन कर रहा है। बैच के लिए कैम्पस प्रशिक्षण 2री मई से 7वीं मई तक आयोजित होगा।

बाज़ार की खबरें

भारित औसत मांग दरें

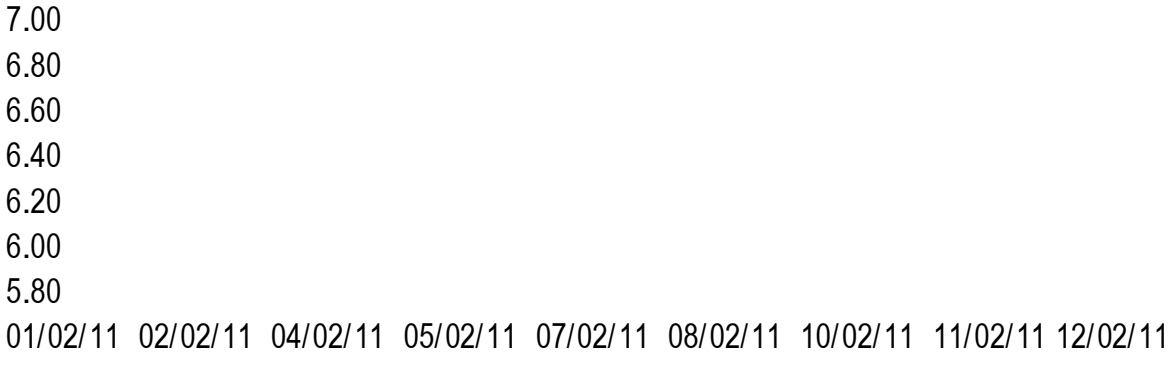

स्रोत : भारतीय समाशोधन निगम लिमिटेड न्यूज़लेटर, फरवरी, 2011

- मांग बाज़ार श्रेणीबद्ध रहे तथा 6.25 और 6.90 के बीच मंडराते रहे।

भारतीय रिज़र्व बैंक की संदर्भ दरें

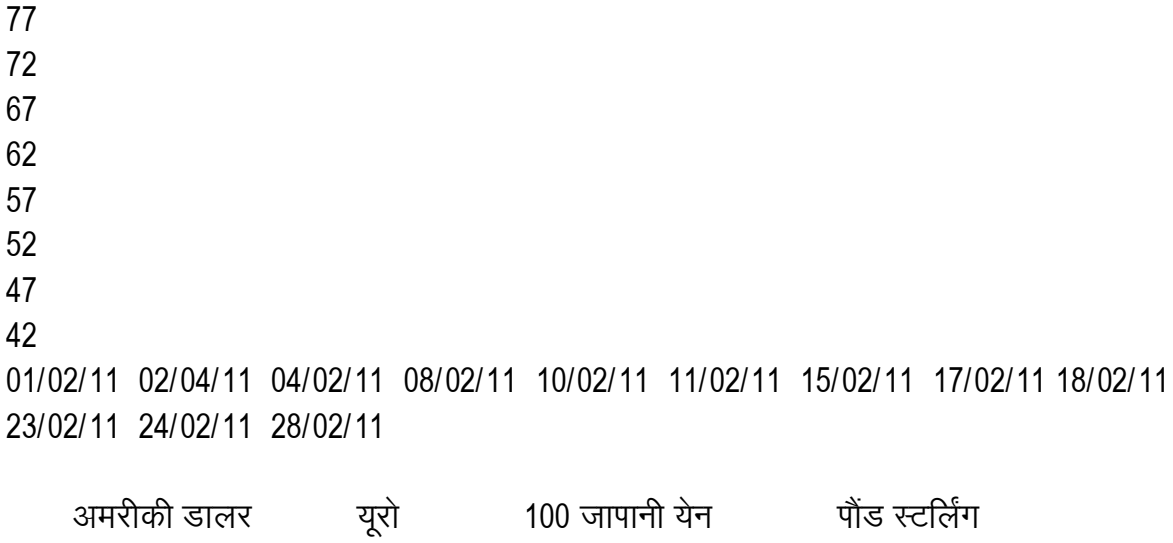

स्त्रोत : भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI)

- सुदृढ़ आर्थिक परिदृश्य के आधार पर रुपया मजबूत हुआ । 7 फरवरी को रुपया 2% बढ़कर 45.485 हो गया। मार्च 11 के अंत तक मुद्रा की मूल्यवृद्धि 44.80 तक होने की संभावना।
- छठे दिन रुपया बढ़ा। जनवरी 2011 में विदेशी निधियों द्वारा सरकारी बॉण्डों कीअपनी धारिता में 2.4 बिलियन अमरीकी डालर तक की वृद्धि किए जाने के बाद मुद्रा में सर्वाधिक वृद्धि हुई।
- इस चिंता के आधार पर कि विदेशी निवेशक देश के शेयरों से और अधिक निधियां वापस लेंगे, रुपया छ: दिनों के अभिलाभ को तोड़ते हुए 0.4% घट कर 45.4875 रुपये पर आ गया।
- आस्ति की बिक्री की चर्चा के आधार पर रुपये में वृद्धि। रुपया 0.5% बढ़ कर 44.99 प्रति डालर, 5 जनवरी 2011 से सर्वाधिक सुदृढ़ स्थितिमें पहुंच गया।
- तेल की कीमतों और स्टॉक में मौजूद कमजोरी के कारण रुपये के मूल्य में कमी हो रही है। रुपया 0.8% कमजोर पड़ कर 45.4775 प्रति डालर हो गया।
- अपतटीय वायदा सौदों से यह संकेत प्राप्त होता है कि तीन माह में डालर के समक्ष रुपया 46.32 की दर पर खरीदा-बेचा जाएगा।
- अमरीकी डालर, यूरो, जीबीपी और जापानी येन के समक्ष रुपये में सभी स्तरों पर थोड़ी सी मूल्यवृद्धि दर्ज हुई।

बम्बई शेयर बाज़ार सूचकांक

18600
18400
18200
18000
17800
17600
17400
17200
16800
01/02/11 03/02/11 04/02/11 08/02/11 10/02/11 11/02/11 15/02/11 17/02/11
21/02/11 22/02/11 23/02/11 24/02/11 28/02/11

स्त्रोत : भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI)

श्री आर. भास्करन द्वारा मुद्रित, श्री आर. भास्करन द्वारा इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ बैंकिंग एण्ड फाइनैन्स की ओर से प्रकाशित तथा क्वालिटी प्रिंटर्स (I) , 6 - बी मोहता भवन, 3री मंजिल, डॉ. ई. मोज़ेस मार्ग, वर्ली, मुंबई - 400 018 में मुद्रित एवं इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ बैंकिंग एण्ड फाइनैन्स, 'दि आर्केड', विश्व व्यापार केन्द्र, 2री मंजिल, पूर्व स्कंध, कफ परेड, मुंबई - 400 005 से प्रकाशित।

संपादक : श्री आर. भास्करन

सेवा में
इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ बैंकिंग एण्ड फाइनैन्स
दि आर्केड, विश्व व्यापार केन्द्र, 2री मंजिल, पूर्व स्कंध, कफ परेड,
मुंबई - 400 005
टेलीफोन : 2218 7003 / 04 / 05 फैक्स : 91-22-2218 5147 / 2215 5093
तार : INSTIEXAM ई-मेल : iibgen@bom5 vsnl.net.in.
वेबसाइट : www.iibf.org.in.

आईआईबीएफ विज़न मार्च, 2011